



बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।

हरियाली मिशन

कार्यान्वयन अनुदेश 2013–2014

योजना :— मुख्यमंत्री निजी पौधशाला (अन्य प्रजातियों
के लिए) योजना

योजना क्रमांक :— 03

उद्देश्य

- अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करना
- ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण
- बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15: वृक्षावरण की प्राप्ति में सहयोग करना।

रोड मैप के अनुसार भौतिक लक्ष्य

क्र०	वर्ष	पौधशाला संख्या	प्रति इकाई पौधों की संख्या	कुल पौधे (लाख में)
1	2	3	4	5
1.	2012&13	354	20,000	70.8
2.	2013&14	534	20,000	106.8
3.	2014&15	1212.9	20,000	242.58
4.	2015&16	1182.9	20,000	236.58
5.	2016&17	1089.85	20,000	217.97
योग पाँच वर्ष		4373.65		874.73

पौधशाला हेतु चयन की प्रक्रिया

- विज्ञापन प्रकाशित कराकर अन्य प्रजाति के पौधशाला हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जायेगा
- पौधशाला हेतु लाभार्थी कृषकों की अपनी निजी जमीन / लीज पर जमीन होनी चाहिए
- वरीयता – 0.5 एकड़ से अधिक भूमि पर पौधशाला स्थापित करना चाहते हैं
- कृषकों का चयन, वन प्रमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जायेगा।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को नियमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।
- वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा लाभार्थी कृषकों की सूची मिशन निदेशक, हरियाली मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।

आवेदन प्रक्रिया

वन प्रमंडल पदाधिकारी / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है

आवेदन के साथ संलग्न कागजात

- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र / अद्यतन लगान रसीद की छाया प्रति / राजस्व रसीद / शपथ पत्र—प्रमाण पत्र / घोषणा पत्र ।
- बैंक पासबुक की अद्यतन छाया प्रति जिसमें कम—से—कम 20,000 रूपये होने का प्रमाण हो
- लाभुक की श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, सामान्य) ।

आवेदन समर्पित कहाँ करें

आवेदन तथा उससे संबंधित कागजात उस जिले के वन प्रमंडल पदाधिकारी / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किये जायेंगे, जिस जिले में कृषक की जमीन हों।

चयन समिति

वन प्रमंडल पदाधिकारी (अध्यक्ष)

जिला कृषि पदाधिकारी (सदस्य)

जिला बागवानी पदाधिकारी (सदस्य)

जिला ग्रामिण विकास अभिकरण के प्रतिनिधि
(सदस्य)

चयन की प्रक्रिया

- ❑ चयन समिति उल्लेखित कागजातों की जाँच करेंगे और चयन सूची बनायेंगे।
- ❑ आवेदक को निजी जमीन/न्यूनतम तीन वर्षों के लीज पर जमीन देने का प्रमाण-पत्र एवं आवेदित प्लॉट के दो सौ मीटर के दायरे में सिंचाई सुविधा होने का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
- ❑ अधिकतम 3 इकाई में पौधें उगाने की अनुमति दी जायेगी।
- ❑ आवंटित लक्ष्य से अधिक व्यक्तियों का आवेदन पौधशाला स्थापना के लिए प्राप्त होता है तो **पहले आओ, पहले पाओ** के आधार पर चयन किया जायेगा।
- ❑ लाभुकों को वन विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण

- ❑ वरीय पदाधिकारियों के लिए एक दिवसीय तकनीकी एवं प्रशासनिक ओरियेन्टेशन कार्यक्रम
- ❑ वन प्रमंडल स्तर पर मास्टर ट्रेनर को तकनीकी एवं प्रशासनिक जानकारी
- ❑ जिला स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा लाभुक किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण
- ❑ वनपाल एवं वनरक्षी को विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसमें पौधशाला स्थापना, रख-रखाव, तैयारी एवं उपचार करना सम्मिलित होगा।
- ❑ अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण

स्रोत / उत्पादन

- किसान को अन्य प्रजातियों का पौधशाला के लिए बीज, पॉलोथीन, ट्यूब, आवश्यक अन्य सामग्री यथा—खाद, कीटनाशक, दवा, न्यूट्रियेंट (उर्वरक), उपकरण आदि की व्यवस्था पौधशाला संचालक द्वारा स्वयं किया जायेगा
- विभाग के मार्गदर्शन में पौधशाला में सभी कार्य किये जायेंगे एवं उत्तम कोटि के निर्धारित मापदंड के अनुसार पौधे तैयार किये जायेंगे
- पौधशाला स्तर पर एक स्थायी बोर्ड लगाया जायेगा जिसमें पौधशाला का नाम उपलब्ध प्रजाति की विवरणी रहेगी एवं **“हरियाली मिशन के तहत संचालित”** अंकित रहेगा
- इससे पौधशाला में उगाये गये पौधों की प्रमाणिकता एवं विश्वसनीयता स्थापित हो सकेगी।

अनुबंध

- ❑ लाभुक कृषकों द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी/प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी के लिखित आदेश के बिना किसी व्यक्ति के साथ पौधशाला में उगाये गये पौधों की बिक्री/वितरण नहीं किया जायेगा।
- ❑ लाभुक किसान को पौधों के संपूर्ण सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे
- ❑ द्वितीय पक्ष को यह वचनबद्धता (**Undertaking**) देनी होगी कि पौधशाला वाली जमीन पर उनका अधिकार है तथा अनुबंध अवधि तक इनका ही रहेगा।
- ❑ पौधशालापति द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन, मिथ्या किये जाने अथवा पौधशाला स्थापना एवं संचालन में लापरवाही बरतने की स्थिति में अन्य विविध उपायों के रहते हुए भी वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिशन के पदाधिकारी को यह अधिकार होगा एवं लाभुक कृषक पर यह बाध्यकारी होगा कि भविष्य में इस योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के वे पात्र नहीं होंगे, तथा उनको भुगतान की गयी राशि की वसूली उनसे की जा सकेगी।

कृषकों को देय लाभ

(क) छोटे ट्यूब पौधों के लिए :- (प्रति पौधा बेस प्राइस – 4.50 रुपये)

	A	B	C	D
उत्तरजीविता	>75%	50-74%	30-49%	<30%
भुगतान राशि	6.30	6.07	5.85	5.40
प्रथम किश्त	$4.50 \times 40\%$ =Rs. 1.8	$4.50 \times 40\%$ =Rs. 1.8	$4.50 \times 40\%$ =Rs. 1.8	$4.50 \times 40\%$ =Rs. 1.8
द्वितीय किश्त	(उत्तजीविता x 6.30) - (प्रथम किश्त)	(उत्तजीविता x 6.07) - (प्रथम किश्त)	(उत्तजीविता x 5.85) - (प्रथम किश्त)	(उत्तजीविता x 5.40) - (प्रथम किश्त)

★ निर्धारित मापदंड के अनुसार।

किश्त

प्रथम किश्त :- यदि किसी किसान के द्वारा 10000 पौधे लगाने के लिए 10000 ट्यूब भर दी है तो राशि का भुगतान निम्नवत् होगा :-

$10000 \times 1.8 = \text{Rs. } 18000$ का भुगतान किया जाएगा ।

द्वितीय किश्त :- द्वितीय किश्त के भुगतान के लिए उत्तरजीविता की गणना जून माह में किया जाएगा । यदि अब उसी किसान द्वारा लगाये गए पौधों में से कुल 6000 पौधे ही जीवित पाये जाते हैं तो राशि का भुगतान कॉलम-**B** से निम्नवत् होगा :-

$6000 \times 6.07 = \text{Rs. } 36420$ का भुगतान किया जाएगा ।

कृषकों को देय लाभ

(ख) बड़े ट्यूब पौधों के लिए :- (प्रति पौधा बेस प्राइस - 14.05 रुपये)

	A	B	C	D
उत्तरजीविता	>75%	50-74%	30-49%	<30%
भुगतान राशि	19.60	18.90	18.20	16.80
प्रथम किश्त	$14.05 \times 20\%$ =Rs. 2.81	$14.05 \times 20\%$ =Rs. 2.81	$14.05 \times 20\%$ =Rs. 2.81	$14.05 \times 20\%$ =Rs. 2.81
द्वितीय किश्त	$14.05 \times 30\%$ = Rs. 4.21	$14.05 \times 30\%$ = Rs. 4.21	$14.05 \times 30\%$ = Rs. 4.21	$14.05 \times 30\%$ = Rs. 4.21
तृतीय किश्त	(उत्तजीविता x 19.60) - (प्रथम किश्त+द्वितीय किश्त)	(उत्तजीविता x 18.90) - (प्रथम किश्त+द्वितीय किश्त)	(उत्तजीविता x 18.20) - (प्रथम किश्त+द्वितीय किश्त)	(उत्तजीविता x 16.80) - (प्रथम किश्त+द्वितीय किश्त)

★ निर्धारित मापदंड के अनुसार।

किश्त

- **प्रथम किश्त :-** यदि किसी किसान के द्वारा 10000 पौधे लगाने के लिए 10000 ट्यूब भर दी है तो राशि का भुगतान निम्नवत् होगा :-

$$10000 \times 2.81 = \text{Rs. } 28100 \text{ का भुगतान किया जाएगा।}$$

- **द्वितीय किश्त :-** द्वितीय किश्त के भुगतान के लिए उत्तरजीविता की गणना जून माह में किया जाएगा। यदि अब उसी किसान द्वारा लगाये गए पौधों में से कुल 8000 पौधे ही जीवित पाये जाते हैं तो राशि का भुगतान निम्नवत् होगा :-

$$8000 \times 4.21 = \text{Rs. } 33680 \text{ का भुगतान किया जाएगा।}$$

- **तृतीय किश्त :-** तृतीय और अंतिम किश्त का भुगतान पौधों की उत्तरजीविता के आधार पर की जायेगी। यदि अब उसी किसान द्वारा लगाये गए पौधों में से कुल 7000 पौधे ही जीवित पाये जाते हैं तो राशि का भुगतान कॉलम-ठ के अनुसार इस प्रकार होगी :-

$$(7000 \times 18.90) - (28100 + 33680) = 132300 - 61780 = \text{Rs. } 70520 \text{ का भुगतान किया जाएगा।}$$

पदाधिकारियों / अधिकारियों / कर्मियों का कर्तव्य एवं दायित्व

- हरियाली मिशन मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, वनरंक्षी अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत इस योजना के लिए पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे
- संबंधित पदाधिकारी इस योजना के प्लान एवं लक्ष्य के आधार पर ई0 टी0 पी0 प्राप्त करेंगे, लाभुकों का चयन करेंगे
- कृषकों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस्त का भुगतान समय-सीमा के अंदर, टाईम लाईन के अनुरूप करवाना सुनिश्चित करेंगे

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी

- संलग्न कागजात की जाँच करना
- समय पर सामग्री उपलब्ध करवाना
- प्रोत्साहन राशि लाभुकों/किसानों को वितरण करना
- वितरित चेक और अवितरित चेक का विवरण प्रमंडल पदाधिकारी को देना
- जिला स्तर पर प्रशिक्षण करवाना
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचित करना।

वनपाल / वनरक्षी

- जीवित पौधों की गणना कर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को सूचित करना
- पौधशाला की सुरक्षा में सहायता करवाना
- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के साथ पौध / बीज / पौधशाला हेतु देय सामग्री का वितरण करना
- मजदूरों एवं लाभुक कृषकों को प्रशिक्षण देना
- जमीन के खतिहान / खेसरा / रसीद की जाँच में मदद करना
- किसी भी प्रकार के नर्सरी में दिक्कत आने पर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को सूचित करना।

मैप

बिहार के सभी जिले शामिल हैं।



फलो चार्ट

वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा आवेदन की प्राप्ति



लाभार्थी कृषकों की सूची तैयार करना



सूची के अनुसार जमीन का भौतिक सत्यापन



अंतिम सूची तैयार कर वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित करना



समिति द्वारा लाभुकों का चयन करना



वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सूची के आधार पर स्वीकृत्यादेश निर्गत करना



लाभुकों द्वारा ट्यूब में मिट्टी की भराई करवाना

फलो चार्ट



पौधशाला स्थापना के लिए आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति



लगाये गये पौधशाला का सत्यापन



रैंडम चेकिंग



सहायतानुदान राशि का चेक वन प्रमंडल पदाधिकारी / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को उपलब्ध करना



वन प्रमंडल परिसर में शिविर लगाकर चेकों / झापटों का वितरण

प्री ऑडिट चेक लिस्ट

- वन प्रमंडल पदाधिकारी / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा लाभुकों की सत्यापित सूची तैयार करना
- स्वीकृत्यादेश की प्रति
- कार्य निष्पादित क्षेत्र का फोटो शपथ-पत्र
- व्यय विवरणी
- स्वीकृत्यादेश में स्वीकृत रकम के अनुरूप सत्यापन एल0 पी0 सी0 / लीज कागजात / किराया रसीद / राजस्व रसीद / शपथ पत्र-प्रमाण पत्र / घोषणा पत्र।
- राशि का भुगतान की प्रति

सामान्य पौधशाला में छोटे एवं बड़े ट्यूब पौधों के विक्रय दर निर्धारण

क्र०	दर निर्धारण का आधार	बड़ा ट्यूब (प्रति पौधा) 12 ईंच ग 8ईंच ग 200 गेज	छोटा ट्यूब (प्रति पौधा) 8 ईंच ग 4ईंच ग 100 गेज	अभ्युक्ति
1.	वन विभागीय दर तालिका के आधार पर प्रति पौधा उत्पादन व्यय (सभी सामग्री एवं कार्य के साथ)	1. प्रथम वर्ष – 7.36 रुपये 2. द्वितीय वर्ष – 5.44 रुपये	प्रथम वर्ष 2.31 रुपये द्वितीय वर्ष 1.79 रुपये	(क) बड़े ट्यूब पौधे न्यूनतम एक वर्ष अवधि के तीन फीट लंबे स्वस्थ पौधे होंगे। (ख) छोटे ट्यूब पौधे न्यूनतम छः माह के डेढ़ फीट लंबाई के स्वस्थ पौधे होंगे।
	योग	12.80 रुपये	4.10 रुपये	
2.	पौधशाला हेतु उपयुक्त होने वाले जमीन का मुआवजा	+ 1.25 रुपये	+ 0.40 रुपये	
	प्रति पौधा बेस प्राइस	14.05 रुपये	4.50 रुपये	(ग) बड़े ट्यूब वाले पौधे का दर
3.	पर्यवेक्षण राशि (1/2 मानव दिवस की मजदूरी)	+ 2.75 रुपये	+ 0.90 रुपये	I 19-60 रुपये II 18-90 रुपये III 18-20 रुपये
	योग	16.80 रुपये	5.40 रुपये	
4.	प्रोत्साहन राशि			(घ) छोटे ट्यूब के पौधे का विक्रय दर का निर्धारण।
(प)	75 : से अधिक स्वस्थ पौधा आपूर्ति पर बेस प्राइस 14.05 रुपये का 20:	2.81	0.90	I 6-30 रुपये
(पप)	50-75 : के बीच आपूर्ति पर बेस प्राइस (14.05) का 15 :	2.10	0.67	II 6-07 रुपये
(पपप)	30-50 : के बीच आपूर्ति पर बेस प्राइस (14.05) का 10 :	1.40	0.45	III 5-85 रुपये
(पअ)	30: से कम आपूर्ति पर	0.00	0.00	नोट :- I 75: से अधिक की आपूर्ति पर II 50&75 : की आपूर्ति पर III 30&50 : की आपूर्ति पर
(अ)	औसत प्रोत्साहन राशि	2.10 रुपये	0.67	
	कुल कीमत	18.90 रुपये	6.07 या 6.10 रुपये	

अनुबंध पत्र

यह अनुबंध वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिनांक को वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रथम पक्ष और श्री पुत्र/पुत्री श्री ग्राम पंचायत प्रखंड जिला द्वितीय पक्ष के मध्य किया जाता है।

2. द्वितीय पक्ष (पौधशालापति) द्वारा हरियाली मिशन के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार द्वारा चलाये जा रहे “मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनान्तर्गत” विभिन्न प्रजाति के उन्नत पौधे विभाग को कृषि वानिकी योजनान्तर्गत किसानों की जमीन पर रोपण हेतु उपलब्ध कराने के लिए राजस्व ग्राम पंचायत प्रखंड जिला स्थित अपने प्लॉट संख्या खाता खेसरा संख्या जिसका पूरा विवरण इस उल्लेख कि अनुसूची के रूप में संलग्न है, एक पौधशाला स्थापित करने हेतु आवेदन के माध्यम से सहमति व्यक्त की गयी है।

3. अतः यह उल्लेख साक्षी है और इस पर दोनों पक्ष परस्पर अनुबंध करते हैं एवं सहमति व्यक्त करते हैं कि –

- (प) प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से अनुबंध के आधार पर विनिर्दिष्ट प्रजातियों के पौधें तैयार करने के लिए पौधाशाला स्थापित करने हेतु सहमत है।
- (पप) यह अनुबंध दिनांक 2013 से दिनांक 2014 तक (दोनों तिथियाँ सम्मिलित) की अवधि तक लागू रहेगा।
- (पपप) पौधशाला की जमीन का रकवा एकड़ होगा एवं इसमें 10,000/- (दस हजार) छोटे ट्यूब पौधें (ट्यूब का माप 8ग4 ईंच एवं 100 गज मोटाई) तथा 10,000/-

(दस हजार) बड़े ट्यूब पौधें (ट्यूब का माप 12ग4 ईच एवं 200 गज मोटाई) उगाये जायेंगे।

(iv) द्वितीय पक्ष को वचनबद्धता (न्दकमतजांपदह) देनी होगी कि पौधशाला वाली जमीन पर उनका कब्जा है तथा अनुबंध अवधि तक उनका ही रहेगा।

(v) पौधशालापति द्वारा उप-पौधशाला में प्रथम पक्ष द्वारा दिये गये आदेश के तहत विनिर्दिष्ट प्रजाति के निर्धारित संख्या में पौधें को उगाया जायेगा। पौधशाला स्थापना एवं संचालन का कार्य पौधशाला मार्गनिर्देशिका में अंकित प्रावधानों का अनुपालन कर किया जायेगा। यह मार्गनिर्देशिका वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पौधशालापति को उपलब्ध करायी जायेगी।

पौधशाला में उगायी जाने वाली पौध प्रजातियों की विवरणी एवं संख्या वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पौधशालापति को अलग आदेश के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। इन पौधशालाओं में इससे अधिक संख्या में पौधें तैयार नहीं किये जायेंगे एवं निर्धारित प्रजाति के अलावे अन्य पौधें भी नहीं लगाये जायेंगे। पौधशालापति को स्वयं अपनी पौधशाला की स्थापना कर पौधा उगाने का कार्य करना होगा। किसी अन्य सौत्र से पौधा प्राप्त कर पौधशाला में लाना, रखना एवं प्रथम पक्ष को आपूर्ति करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

(vi) पौधशालापति द्वारा पौधशाला उगाने पर होने वाले संपूर्ण व्यय यथा बीज, पॉलिथिन ट्यूब, गोबर खाद, अच्छी मिट्टी, बालू, रसायनिक खाद एवं कीटनाशक दवा आदि के साथ पौधशाला में उपयोग में आने वाले संयंत्र, उपकरण तथा औजार आदि का क्रय स्वयं करने के साथ इस पर आने वाले व्यय का वहन किया जायेगा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी/अन्य विभागीय पदाधिकारी, द्वारा पौधशाला स्थापना एवं संचालन का विधिवत् तकनीकी प्रशिक्षण पौधशालापति को दिया जायेगा तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार पौधशाला के सफल संचालन हेतु तकनीकी मार्गनिर्देश भी दिये जाते रहेंगे।

(vii) पौधशालापति उल्लिखित प्रजाति एवं संख्या में उगाये गये पौधों का लेखा-जोखा रखेंगे एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी ...
..... अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारियों/मिशन के पदाधिकारियों के द्वारा मांगे जाने पर उक्त लेखा-जोखा उनके समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत करेगा तथा पौधशाला निरीक्षण में आवश्यक सहयोग करेगा।

(viii) संबंधित जमीन में स्थापित पौधशाला में उगाये गये रोपण हेतु उत्तम गुणवत्ता के छोटे ट्यूब में तैयार किये गये छः माह के अवधि के स्वस्थ न्यूनतम डेढ़ फीट लंबे तथा बड़े ट्यूब में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि में तैयार किये गये न्यूनतम तीन फीट ऊँचाई के स्वस्थ पौधों पौधशालापति से प्रथम पक्ष द्वारा भुगतान के आधार पर प्राप्त की जायेगी तथा इसे कृषि वानिकी योजनान्तर्गत किसानों की जमीन पर रोपण हेतु किसानों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ix) पौधशालापति को उनके द्वारा अनुबंध के अनुसार पौधशाला स्थापित करने, पौधों की सुरक्षा देखभाल करने एवं छः माह अथवा एक वर्ष के बाद उच्च गुणवत्ता के उपर्युक्त कंडिका में निर्धारित लंबाई के पौधे वृक्षारोपण के लिए आपूर्ति करने के एवज में विभाग द्वारा निर्धारित राशि प्रथम पक्ष द्वारा भुगतान किया जायेगा। इस अनुबंध के तहत छः माह के ट्यूब पौधों की कीमत 5.85 रुपये से 6.30 रुपये के बीच तथा एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के बड़े ट्यूब पौधों की कीमत 18.20 रुपये से 19.60 रुपये के बीच प्रति पौधा निर्धारित किया गया है। इसमें पौधा उगाने का व्यय जमीन की क्षतिपूर्ति राशि के साथ-साथ पर्यवक्षण एवं प्रोत्साहन राशि सम्मिलित है। यह भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।

(गप) यदि प्रथम से तृतीय किस्त के रूप में द्वितीय पक्ष को अतिरेक राशि का भुगतान हो गया होगा तो अंतिम किस्त की राशि भुगतान करते समय पूर्व में भुगतेय ऐसी राशि का समायोजन करने के पश्चात् ही अंतिम भुगतान किया जायेगा।

(गपप) द्वितीय पक्ष को पौधों की संपूर्ण सुरक्षा का जिम्मा होगा, सतत् सिंचाई के अतिरिक्त समय-समय पर साफ-सफाई, खर-पतवार हटाने, शाखाओं की छंटाई एवं एकीकरण की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सुनिश्चित करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर पौधे नहीं लिये जायेंगे तथा भुगतान रोक दिया जायेगा। प्रथम पक्ष चोरी, चराई, बाढ़, सूखा महामारी एवं अन्य किसी प्रकार से हुए क्षति की भरपाई हेतु देनदार नहीं होगा।

(गपपप) पौधों में किसी तरह की बीमारी या कोई अन्य क्षति की तत्काल सूचना वन प्रमंडल पदाधिकारी/उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/मिशन के पदाधिकारी को द्वितीय पक्ष द्वारा दी जायेगी।

(गपअ) उपर्युक्त वित्तीय लाभ के अतिरिक्त द्वितीय पक्ष किसी अन्य वित्तीय लाभ का अधिकारी नहीं होगा।

(गअ) द्वितीय पक्ष अपना बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा का नाम एवं पता वाले पासबुक के पृष्ठ की छायाप्रति प्रथम पक्ष के द्वारा कार्यालय में अनुबंध के साथ-साथ जमा करेंगे।

(गअप) पौधशाला के पौधों का भौतिक सत्यापन प्रथम पक्ष के प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक भुगतान के पूर्व किया जायेगा एवं सत्यापन के समय प्रथम पक्ष के साथ-साथ द्वितीय पक्ष स्वयं या उनके वैध प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रपत्र पर दोनों अपने हस्ताक्षर करेंगे।

(गअपप) यह प्रतिबंध रहेगा कि पौधशालापति द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी/प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी के लिखित आदेश के बिना किसी व्यक्ति के साथ पौधशाला में उगाये गये पौधों की बिक्री/वितरण नहीं किया जायेगा।

(गअपपप) अनुबंध में निहित शर्तों एवं कार्यकलापो के संबंध में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा एवं उनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

उक्त अनुबंध के साक्ष्य में इस अभिलेख पर प्रथम पक्षकार वन प्रमंडल पदाधिकारी वन प्रमंडल तथा द्वितीय पक्षकार श्री
..... ग्राम पंचायत प्रखंड जिला (अन्य प्रजातियों के पौधशालापति) द्वारा हस्ताक्षर किया।

पूरा नाम एवं हस्ताक्षर
अन्य प्रजातियों के पौधशालापति
(द्वितीय पक्ष)
साक्षी
नाम एवं पता सहित

हस्ताक्षर
वन प्रमंडल पदाधिकारी

हस्ताक्षर
(प्रथम पक्ष)
साक्षी
नाम एवं पता सहित

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
“हरियाली मिशन”

प्रपत्र-03/01

मुख्यमंत्री निजी अन्य प्रजातियों के नर्सरी/पौधशाला की स्थापना
आवेदन

आवेदक का नाम
पिता/पति का नाम
पता
वन प्रमंडल का नाम
प्रखंड का नाम
पिन नं०

कार्यालय उपयोग हेतु
किसान विशिष्ट पहचान संख्या -
HAR//...../...../...../...../
योजना जिला प्रखंड क्र.सं. वर्ष

लिंग-पुरुष/महिला
कोटि- अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति
पिछड़ा वर्ग विकलांग

वन क्षेत्र का नाम
जिला का नाम
मोबाईल नं०

पिछड़ा वर्ग महिला अत्यंत पिछड़ा वर्ग
अल्पसंख्यक सामान्य

पौधशाला स्थल की विवरणी :-

क्र०	जमीन मालिक का नाम/जमीन का पता	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा (एकड़ में)

सिंचाई की सुविधा – राजकीय नहर नलकूप निजी पंपिंग सेट अन्य

बैंक में पूंजी की स्थिति

(प्रमाण के रूप में पासबुक की अद्यतन छायाप्रति संलग्न करें)

घोषणा

मैं एतद् घोषणा करता /करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गयी सूचनाएं सत्य एवं सही हैं। पौधशाला आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधशाला स्थापित कर इनमें उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करूँगा /करूँगी एवं मिशन/वन विभाग के सभी नियमों/निर्देशों का अनुपालन करूँगा /करूँगी। ऊपर में दी गयी सभी जानकारी/कालान्तर में उक्त सूचना गलत सिद्ध होती है तो इसके लिए मैं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी और मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे विरुद्ध वैधानिक/दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन एवं आवंटन को रद्द किया जा सकेगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभाग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

नोट :- आवेदन-पत्र के साथ सभी प्रमाण-पत्रों/कागजातों की केवल छायाप्रति संलग्न करें :-

- (1) एल0 पी0 सी0/प्रस्तावित जमीन का अद्यतन रसीद/ लीज पर लिया गया जमीन की छायाप्रति।
- (2) पासबुक की अद्यतन छायाप्रति।

सिंचाई की सुविधा – राजकीय नहर नलकूप निजी पंपिंग सेट अन्य

बैंक में पूंजी की स्थिति

(प्रमाण के रूप में पासबुक की अद्यतन छायाप्रति संलग्न करें)

घोषणा

मैं एतद् घोषणा करता /करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गयी सूचनाएं सत्य एवं सही हैं। पौधशाला आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधशाला स्थापित कर इनमें उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करूँगा /करूँगी एवं मिशन/वन विभाग के सभी नियमों/निर्देशों का अनुपालन करूँगा /करूँगी। ऊपर में दी गयी सभी जानकारी/कालान्तर में उक्त सूचना गलत सिद्ध होती है तो इसके लिए मैं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी और मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे विरुद्ध वैधानिक/दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन एवं आवंटन को रद्द किया जा सकेगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभाग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

नोट :- आवेदन-पत्र के साथ सभी प्रमाण-पत्रों/कागजातों की केवल छायाप्रति संलग्न करें :-

- (1) एल0 पी0 सी0/प्रस्तावित जमीन का अद्यतन रसीद/ लीज पर लिया गया जमीन की छायाप्रति।
- (2) पासबुक की अद्यतन छायाप्रति।

प्राप्ति रसीद

श्रीमान्/श्रीमती पिता/पति का नाम

वन प्रमंडल का नाम वन क्षेत्र का नाम प्रखंड का नाम

जिला का नाम ।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनांतर्गत "अन्यप्रजाति के पौधों का पौधशाला" स्थापित करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त किया गया,

जिसकी आवेदन क्रमांक है।

स्थान :-

दिनांक :-

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर पूरा नाम एवं पदनाम।

आदेश

प्रपत्र-03/03 (2013-14)

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन प्रमंडल

सेवा में,

.....
.....

विषय :- पौधशाला ससमय स्थापित न करने और शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश रद्द करने के संबंध में।
दिनांक :-

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपको पत्रांक—..... दिनांक –
... के द्वारा आपको सूचित किया गया था कि आप ससमय वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवंटित नर्सरी हेतु सामग्री प्राप्त कर लें, पौधशाला ससमय स्थापित न करने और शर्तों का अनुपालन नहीं करने के कारण इस कार्यालय का निर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत्यादेश रद्द किया जाता है।

स्वीकृत्यादेश
वन प्रमंडल पदाधिकारी
..... वन प्रमंडल

प्रपत्र-03/04 (2013-14)
भुगतान हेतु आवेदन-पत्र एवं स्वीकृति-पत्र

सेवा में,
कार्यालय उपयोग हेतु
किसान विशिष्ट पहचान संख्या -

कार्यालय उपयोग हेतु
किसान विशिष्ट पहचान संख्या -
HAR//...../...../...../...../
योजना जिला प्रखंड क्र.सं. वर्ष
:-

वन प्रमंडल पदाधिकारी :- वन प्रमंडल

किसान हेतु

महाशय,
मैं पिता/पति वन प्रमंडल वन क्षेत्र जिला मेरे
द्वारा मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनातर्गत पॉप्लर के पौधों का पौधशाला स्थापित किया गया है। मेरे द्वारा आपके पौधशाला से कुल
..... स्टंप प्राप्त किये। जिसमें प्रथम किस्त हेतु पौधें स्वस्थ एवं उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार हो चुके हैं। अतः मुझे प्रथम
किस्त देने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,

(किसान का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम या
बायें हाथ के अंगूठे का निशान)

कार्यालय द्वारा जाँच-पत्र

उपर्युक्त दिये गये किसान द्वारा प्रथम किस्त भुगतान हेतु आवेदन-पत्र के आधार पर मेरे द्वारा नाम पदनाम
जाँच किया गया, जाँच में इनकी पौधशाला में कुल पौधें स्वस्थ एवं उच्च गुणवत्ता वाले पौधे पाये गये।

विश्वासभाजन,

(जाँचकर्ता का हस्ताक्षर)

नाम -

पदनाम -

दिनांक -

वन प्रमंडल पदाधिकारी हेतु

उपर्युक्त जाँच में पाया गया की किसान द्वारा स्थापित किये गये पौधशाला में स्वस्थ एवं उच्च गुणवत्ता वाले निर्धारित मापदंड के अनुसार पौधें पाये गये जो रुपये प्रति पौधें की दर से कुल रुपये का भुगतान ड्राफ्ट नं०- दिनांक - को निर्गत किया जा रहा है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर :-
या अंगूठे का निशान

वन प्रमंडल पदाधिकारी

प्रमंडल -

जिला -

धन्यवाद